<u>महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-41/2016/821/एक-6-2016-ए0क्यू0-01(01)/2007</u>

प्रेषक,

धनलक्ष्मी के0,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2016**

विषय- राजकीय आस्थान की भूमि को नजूल की भूमि की तरह फ्री होल्ड किये जाने हेतु नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0-85/जी-11-129/02, दिनांक 29-7-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सभी जनपदों में उक्त नियमावली का हिन्दी/उर्दू भाषा के पर्याप्त परिचालन वाले 02 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर उसकी प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराये । इस पर आम जनता, प्रतिनिधियों एवं जिलो एवं मण्डल के अधिकारियों से आपत्तियॉ/सुझाव 15 दिनों के अन्दर प्राप्त करें और प्राप्त आपत्तियो एवं सुझावों का परीक्षण कर उनके आलोक में सुविचारित माडल ड्राफ्ट अंग्रेजी व हिन्दी में सी0डी0 सहित 20 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि नियमावली का माडल ड्राफ्ट उर्दू (सी0डी0) में उपलब्ध नहीं है। कृपया नियमावली का माडल ड्राफ्ट उर्दू भाषा में (सी0डी0) अपने स्तर से तैयार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(धनलक्ष्मी के0)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in